नम्बर व तारीख अह
जो इस हुक्म की त
में जारी हुए

न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ।

पीठासीन अधिकारी :– प्रकाश चन्द्र चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 24/2016

अनवानः– राजस्थान राज्य जरिये थाना अधिकारी पुलिस थाना पीलीबंगा।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री रविप्रकाश पुत्र हनुमान जाति जाट सा. बडोपल।

अप्रार्थी

मुकदमा अर्न्तगत धारा 6 ए ई0सी एक्ट बाबत डीजल के निस्तारण

उपस्थितः– 1 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता।

2 श्री सतपाल लिम्बा अधिवक्ता अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

दिनांकः–22.01.2018

राजस्थान राज्य जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना पीलीबंगा द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 20.10.15 को गश्त के दौरान सडक आम पीलीबंगा से गोलूवाला पर लोंगवाला की तरफ से एक सफेद पिकअम गाडी को रूकवाया तो चालक ने अपना नाम रविप्रकाश बताया। गाडीके पीछे डाला को चैक करने पर कुल 12 ड्रम डीजल से भरे हुए पाए गए। जिनमें 8 ड्रम प्लास्टिक के बरंग नीला जिनमें करीब 220–220 लीटर डीजल भरा है तथा एक ड्रम प्लास्टिक बरंग हरा जिसमें करीब 220 लीटर तथा तीन ड्रम प्लास्टिक के बड़े हैं जिनमें करीब 250–250 लीटर डीजल भरा है। इस प्रकार कुल 12 ड्रमों में कुल 2730 लीटर डीजल भरा है। इतनी मात्रा में डीजल अपने कब्जा में रखने बाबत रविप्रकाश से लाईसेंस व प्रमिशन आदि पूछा तो अपने पास कुछ नही होना बताया। इस प्रकार रविप्रकाश द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के इतनी मात्रा में डीजल अपने कब्जे में रखना धारा 3/7 ईसी एक्ट में दण्डनीय अपराध है। डीजल पंजाब से खरीदकर राजस्थान में बिक्री के लिए लाना बताया । गाडी पिकअप आरजे 31 जीए 7370 को बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया गया। फर्द पर मु0नं0 538/15 धारा 3/7 इसी एक्ट दर्ज कर तफतीश शुरू की गयी। रिपोर्ट अर्न्तगत धारा 6 ए ई.सी. एक्ट पेश कर निवेदन किया कि मुकदमा हाजा में जब्त वजह सबूत डीजल के निस्तारण हेतु प्रेषित किया गया।

अप्रार्थी जरिये अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित आये तथा जबाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण झूठा व बेबनियाद बनाया गया है।प्रार्थी के वाहन से डीजल की कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों से प्रार्थी के विरूद्ध धारा 6 ए ईसी एक्ट का अपराध बनना प्रतीत नहीं होता है। तथाकथित बरामदगी प्रार्थी से नहीं हुई है। प्रार्थी निर्दोष है। प्रकरण में विक्रय हेतु डीजल परिवहन किये जाने का कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं है। अतः

उक्त प्रकरण प्रथमतः श्रीमान् जिला कलक्टर हनुमानगढ के न्यायालय में दिनांक 02.11.2015 को पेश हुआ जिसमें दिनांक 02.11.15 को जब्त शुद्धा वाहन को रविप्रकाश को सशर्त सुपुर्द की गयी व जब्त शुद्धा डीजल के अन्तरिम निस्तारण हेतु जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को दिनांक 02.11.15 को आदेशित किया गया । जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा अपने पत्रांक 17547 दिनांक 21.12.15 से सूचना प्रेषित की गयी कि जब्त शुद्धा डीजल व प्लास्टिक 12 ड्रम का निस्तारण कर जरिये चालान नं. 00088088456 दिनांक 17.12.15 से राशि 131392/– राजकोष में जमा करा दी गयी है। तत्पश्चात् प्रकरण इस न्यायालय को स्थानान्तरण हुआ और दर्ज रजिस्टर किया गया।

बहस सुनी गयी । राजकीय अभिभाषक ने बहस में बताया कि राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अप्रार्थी का यह कृत्य दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए जब्त शुद्धा डीजल की राशि जो पूर्व से जिला रसद अधिकारी द्वारा राजकोष में जमा करवा दी गयी है उसे राजसात करने के आदेश दिये जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में जबाब में अंकित तथ्यों की पुष्टि करते हुए तर्क किया कि अप्रार्थी पर मुकदमा झूठा व बेबुनियाद बनाया है तथा डीजल अप्रार्थी से जब्त नहीं किया गया है। इसलिए कार्यवाही अप्रार्थी के विरूद्ध ड्राप की जावे। बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2016 (1) क्रिमीनल एल आर (राज0) पेज 506 व निर्णय मा. उच्च न्यायालय जोधपुर दिनांक 02.2.16 अनवानी रणजीत सिंह बनाम स्टेट प्रस्तुत किये गये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अंकित है कि जब्ती के समय अप्रार्थी द्वारा जब्त डीजल के संबंध में लाईसेंस/परमिट आदि प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि अप्रार्थी ने अपने जबाब में कथन किया है कि अप्रार्थी अप्रार्थी पर मुकदमा झूठा व बेबुनियाद बनाया है तथा डीजल अप्रार्थी से जब्त नहीं किया गया है। जबकि पुलिस द्वारा डीजल जब्ती के समय अप्रार्थी के हस्ताक्षर मौजूद हैं। इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा डीजल पुलिस द्वारा जब्त ना किया हो के सबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। साथ ही एक व्यक्ति कृषि कार्य के लिए राज्य सरकार के आदेशानुसार 1000 लीटर ही परिवहन कर सकता है व रख सकता है। ऐसा नहीं माना जा सकता कि जब्त शुद्धा डीजल की जब्ती अप्रार्थी से नहीं हुई हो। साथ ही निर्धारित मात्रा से ज्यादा डीजल प्रार्थी से जब्त किया गया है। इसलिए जब्त शुद्धा डीजल राजसात किया जाना उचित है।

अतः रवि प्रकाश पुत्र हनुमान जाति जाट सा. बडोपल से जब्त शुद्धा 2730 लीटर डीजल मय ड्रम जिसकी राशि पूर्व से ही राजकोष में जमा है को अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात किया जाता है। जब्त शुद्धा पिकअप आरजे 31 जीए 7370 का निस्तारण सक्षम न्यायालय के निर्णय पर आधारित रहेगा । निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ व थानाधिकारी पुलिस थाना पीलीबंगा पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़